न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

(70)

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी, जिला धार

नि० – 497 – PBR – 16

दिनाँक 5-2-16 को
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक
द्वारा प्रस्तुत
5-2-16

1. सुन्दरबाई पति स्व. मांगीलाल,
2. रमेश पुत्र स्व. मांगीलाल,
3. सीमा पुत्री स्व. मांगीलाल,
4. लक्ष्मी पुत्री स्व. मांगीलाल,

समस्त निवासीगण ग्राम बगड़ी तहसील व जिला जिला धार (म0प्र0)

-- आवेदकगण

बनाम

O.P. Sharma Adv.
05-2-2016

1. दिनेश पुत्र सुरजसिंह ठाकुर, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पिगडम्बर तहसील व महु, जिला इन्दौर
2. संतोषीबाई पति मुकेश रघुवंशी, जाति रघुवंशी, निवासी ग्राम उटावद, तहसील व जिला जिला धार (म0प्र0)
3. सरलाबाई पुत्री श्री मांगीलाल
4. सोमतीबाई पुत्री श्री मांगीलाल
5. रामनारायण पुत्री श्री मांगीलाल
6. राधेश्याम पुत्री श्री मांगीलाल नाबालिक पालकर्त्ता माता श्रीमती रंगाबाई, समस्त निवासीगण ग्राम जामन्दा, तहसील व जिला धार (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता।

न्यायालय तहसीलदार महोदय, टप्पा नालछा, तहसील व जिला धार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ-6/2011-12 आदेश दिनाँक 15.12.15, 27.11.15 एवं 28.08.2014 के विरूद्ध निगरानी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 497-PBR/16 [मुन्नाबाई / दिनेश] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–7–2017	आवेदकगण की ओर से श्री ओ0पी0शर्मा एवं श्री टी. टी.गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–8–14, 27–11–15 एवं 15–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । आदेशिका दिनांक 28–8–14 से व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–12 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मेमों की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसे तहसीलदार द्वारा शामिल फाईल किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । आदेशिका दिनांक 27–11–2015 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण का गहन परीक्षण किया जाना है एवं आदेशिका दिनांक 15–12–15 में आपत्ति पर प्रस्तुत जबाव शामिल फाईल किया गया है । स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशिकाओं में तहसीलदार द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही अथवा आदेश पारित नहीं किया गया है जिसे इस निगरानी में बदला जा सके । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	